



# सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 29 मार्च, 2010 ई0  
चैत्र 08, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन  
वित्त अनुभाग-9

संख्या 790/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2008  
देहरादून, 29 मार्च, 2010

### अधिसूचना

प0 आ0-45

राज्यपाल, भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, ग्राम लखनपुर, बेरिया रोड, बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर में स्थित 1.546 हैक्टेयर भूमि को श्री राधे कृष्ण गौ सेवा सदर ट्रस्ट के नाम से विक्रय पत्र के माध्यम से अन्तरित किये जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान करने की स्वीकृति करते हैं।

आज्ञा से,

एल0 एम0 पन्त,  
सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 790/XXVII(9)/Stamp-80/2008, Dehradun, Dated March 29, 2010 for general information :

No. 790/XXVII(9)/Stamp-80/2008  
Dated Dehradun, March 29, 2010

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of Sub-Section (1) of Section 9 of Indian Stamp Act, 1899 (Central Act no. 2 of 1899), the Governor is pleased to remit the stamp fees chargeable by the State Government in respect of transfer of 1.546 Hect. land situated at village Lakhanpur, Beriya Road, Bajpur, Distt. Udham Singh Nagar at present under the Shri Radhey Krishna Gau Seva Sadan Trust, to the name of the Institute through the sale deed.

By Order,

L. M. PANT,  
Secretary.